

सायलिय ब्याखण्ड सांख्यिकी विभाग

क्रमांक 19/25

दिनांक 19.09.25

निर्णय

प्राची श्री शिव सिंह द्वारा प्रस्तुत पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मोरांगी जिला बारा की खाला सख्या 39 में सातदार, गैरसातदार का नाम शिवराज सिंह अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिससे सम्मानजनक रूप में शिव सिंह अंकित किया जावे। प्राची के आवेदन पत्र की आज पटवारी सैयद से करवाने पर पटवारी ने शिवराज सिंह के बजाय शिव सिंह करना उचित बताया। तहसीलदार स्वयं ने भी उक्त खाले में शिवराज सिंह के बजाय शिव सिंह करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्राची 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1957 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (संशोधन) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम मोरांगी के खाला सख्या 39 में सातदार, गैरसातदार का नाम शिवराज सिंह के स्थान पर सम्मानजनक रूप से शिव सिंह अंकित करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार स्वयं तदनुसार कार्यवाही में सुनिश्चित करें।

उपसहस्र अधिकारी
(Land Record Officer)
बारा जिला बारा